न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 03/16 **सन् 2016**

बउनवानीः—

श्रीमति केला बाई पुत्र देवनारायण पत्नि रामफूल जाति माली निवासी आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

छीतर पुत्र देवनारायण जाति माली निवासी आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 935 निर्णय दिनांक 12.3.1987 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री उमाशंकर शर्मा वकील अपीलान्ट

2. श्री भौलाशंकर शर्मा वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 25.3.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 935 निर्णय दिनांक 12.3.1987 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख एवं नामा0 से संबंधित आराजीयात व वारिसान के संबंध में रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में अंकित किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादित नामा0 से संबंधित आराजीयात अपीलान्ट के पिता की है तथा अपीलान्ट एवं रेस्पो. एक ही पिता की संतान है। अतः नामा0 संख्या 935 जो कि पुत्री के नाम नही खोला गया है अवैधानिक है जबकि 1/2 हिस्सा अपीलान्ट का एवं 1/2 हिस्सा रेस्पो. का है तथा नामा0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामा0 खोलने से पूर्व वारिसान की कोई जॉच नही की गयी है। ना ही किसी व्यक्ति के बयान लिये गये है। ओर ना ही संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है तथा सहखातेदारान से भी मृतक देवनारायण के वारिसान के बारे मे कोई पूछताछ नही की गयी है। अतः उक्त नामा0 मे वैधानिक कार्यवाही का अभाव होने के कारण निरस्त किया जाकर वारिसान की जॉच करके खोला जाना न्यायोचित है। यह भी अंकित किया कि नामा0 तस्दीक करने से पूर्व मृतक के वारिसान बाबत कोई प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से प्राप्त नही किया गया है तथा नामा0 तस्दीक करने बाबत वारिसान की संतुष्टि हेतु कोई रिकार्ड भी प्राप्त नही किया गया है। यह भी तर्क दिया कि उक्त नामा0 तस्दीक करते समय अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिये जाने के कारण अपीलान्ट को जानकारी नही हुई थी। यह तर्क भी दिया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1986 के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति मे पुत्र व पुत्रीयों का समान अधिकार है। यह कथन भी किया कि आदेश जैर अपील का जानकारी दिनांक 13.4.2010 को लोन की फाईल तैयार करवाने हेतु पटवारी हल्का के बताये जाने पर तहसील मे पुराने रिकार्ड जॉच करने पर दिनांक 26.4.2010 को प्राप्त हुई। तथा नामा0 की नकल दिनांक 28.4.2010 को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 का प्रा.पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा लिखित बहस में अंकित किया कि श्रीमति केला बाई द्वारा 1987 के नामा0 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मं अपील पेश की है और स्वंय देवनारायण की पुत्री बताकर की है। 1987 में काश्तकारी की भूमि में ब्याहता पुत्री को किसी प्रकार के टीनेन्सी

डॉ० एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिकार बतौर उत्तराधिकारी नही दिये गये थे, अर्थात 2005 से पूर्व पिता की सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार नही दे रखे थे। यह भी अंकित किया कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है संबंधित सभी सहखातेदारान को जब तक पक्षकार नही बताया जावे, प्रारम्भिक रूप से अपील सुनवायी योग्य नही है। श्रीमति केलाबाई अपने पति रामफूल के साथ ग्राम कुशालीपुरा में रह रही है जिसने ना तो कभी विवादित भूमि देखी है और ना ही कभी काश्त की है ना ही कोई लेना देना है। तथा प्रस्तुत अपील 1987 के नामा0 के संबंध में जो कि मियाद बाहर है। यदि केलाबाई का कोई अधिकार है तो पहले सक्षम न्यायालय से उद्घोषणा करावे। 30 वर्ष पुराने नामा0 को खारिज कराने का प्रारम्भिक रूप से कोई अधिकार नही है। यह कथन भी किया कि नामा0 एक संक्षिप्त प्रकिया है जिससे किसी भी प्रकार के राईट कियेट नही होते है तथा 2005 से पूर्व पुत्री संतान को टीनेन्सी अधिकार दिये हुए नही थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो.द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 935 दिनांक 12.3.1987 दर्ज फैसल करते समय मृतक देवनारायण पुत्र गेन्दया माली निवासी आलनपुर के विधिक वारिसान की जॉच नही की गयी है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर उक्त नामा0 से संबंधित आराजीयात ख.न.720 रकबा 0.20 है0, ख0न0 721 रकबा 0.04, ख0न0 722 रकबा 0.51 है0,खन0 724 रकबा 0.73 है0,खन0 727 रकबा 0.35 है0, ख0न0731 रकबा 0.29 है0,ख0न0 732 रकबा 0.19 है0, ख0न0 733 रकबा 0.39 है0,ख0न0 736 रकबा 0.47है0, ख0न0 737 रकबा 0.12 है0,ख0न0738 रकबा 0.11 है, ख0न0 740 रकबा 0.21 है0 ख0न0 741 रकबा 0.23 है0,ख0न0 742 रकबा 0.20 है0,ख0न0 743 रकबा 0.18 है0, ख0न0 744 रकबा 0.24 है0 ख0न0 745 रकबा 0.16, ख0न0 749 रकबा 0.04 है0 ख0न0 752 रकबा 0.04 कुल किता 19 रकबा 4.70 है0 में छीतर पुत्र देवनारायण जाति माली निवासी हिस्सा 2/9 दर्ज है। किन्तु उक्त ख0न0 में से ख0न0 731 रकबा 0.29 को छोडकर शेष कुल किता 18 रकबा 4.42 है0 भूमि को राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 13.4.2018 की पालना में सिवायचक दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान में रेस्पो0 छीतर पुत्र देवनारायण ख0न0 731 रकबा 0.29 मे 2/9 का हिस्सेदार तथा ख0न0 725 रकबा 0.03 है0, ख0न0 726 रकबा 0.38 है0, ख0न0 739 रकबा 0.08 है0 गैर खातेदारी मे हिस्सा 2/9 है। अपीलान्ट के पिता देवनारायण की विरासत में अपीलान्ट एवं रेस्पो0 का बराबर हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल किये गये नामा0 935 दिनांक 12.3.1987 वाके ग्राम आलनपुर विधि सम्मत नही होने के कारण ख0न0 731 रकबा 0.29 खातेदारी एवं ख0न0 725 रकबा 0.03 है0, ख0न0 726 रकबा 0.38 है0, ख0न0 739 रकबा 0.08 है0 (गैर खातेदारी) की सीमा तक खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील ख0न0 731 रकबा 0.29 (खातेदारी) एवं ख0न0 725 रकबा 0.03 है0, ख0न0 726 रकबा 0.38 है0, ख0न0 739 रकबा 0.08 है0 (गैर खातेदारी) की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक देवनारायण के विधिक वारिसान की पुनःजॉच कर मृतक के विधिक वारिसान के नाम से ख0न0 731 रकबा 0.29 (खातेदारी) एवं ख0न0 725 रकबा 0.03 है0, ख0न0 726 रकबा 0.38 है0, ख0न0 739 रकबा 0.08 है0 (गैर खातेदारी) की सीमा तक नियमानुसार नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 14:45:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: